**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1455**
**28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**कृत्रिम मिठास (आर्टिफ़िशियल स्वीटनर) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट**

**1455. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**
**श्री प्रतापराव जाधव:**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
**श्री सुधीर गुप्ता:**
**श्री चैर्यशील संभाजीराव माणे:**
**श्री बिद्युत बरन महतो:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने देश में कृत्रिम मिठास (आर्टिफ़िशियल स्वीटनर) के उपयोग के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में खाद्य सुरक्षा और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी विनियामक निकाय भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मानव स्वास्थ्य पर कृत्रिम मिठास (आर्टिफ़िशियल स्वीटनर) के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालने के लिए एक बैठक बुलाई है/बैठक बुलाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफएसएसएआई ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर उद्योग विशेषज्ञों, प्रतनिधियों और उपभोक्ता अधिवक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रियाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में लोगों के स्वास्थ्य पर कृत्रिम मिठास (आर्टिफ़िशियल स्वीटनर) के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नॉन-शुगर स्वीटनर (एनएसएस) पर एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें वजन नियंत्रण अथवा गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के जोखिम को कम करने के लिए एनएसएस का उपयोग न करने की सिफारिश की गयी है। । एफएसएसएआई ने उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस मामले पर एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है।

(ग) से (ङ): एफएसएसएआई ने विषय का ज्ञान रखने वाले बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करके कृत्रिम स्वीटनर के उपयोग और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक पैनल की बैठकें की हैं।

(च): एफएसएसएआई ने नॉन-केलोरिक स्वीटनर जैसे स्टीविया, एसेसल्फेम पोटेशियम, एस्पार्टेम, सोडियम और कैल्शियम सैकरिन, सुक्रालोज़ और सोर्बिटोल के लिए मानक निर्धारित किए हैं और विभिन्न खाद्य उत्पादों में जोखिम आकलन और जेईसीएफए (खाद्य योजकों पर संयुक्त विशेषज्ञ समिति) द्वारा स्थापित एडीआई (स्वीकार्य दैनिक सेवन) के आधार पर ऐसे एनएसएस के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है और यह कोडेक्स के अनुरूप है।

*****